राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

rajssaquality@gmail.com Ph-2701596

क्रमांक : राप्राशिप/गुणवत्ता शिक्षा/विद्यालय अवलोकन/2017–18 12379 दिनांक : 23/1/18

अति–आवश्यक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा
बीकानेर।

विषय :– विद्यालय अवलोकन बाबत।
संदर्भ – राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 15 (1)/प्रा.शि./2017/11.04.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा राज्य के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अवलोकन जिला एवं ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा आवश्यक रूप से किया जाना है। पूर्व में 31.10.2017 को माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार) के अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विद्यालय अवलोकन के कार्य को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई कि राज्य में मानदण्डानुसार विद्यालय अवलोकन नहीं किये जा रहे हैं। श्रीमान् शासन सचिव महोदय द्वारा भी गम्भीरता से लिया गया। विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम अन्तर्गत मासिक अवलोकन निर्धारित नियमानुसार उत्कृष्ट एवं अन्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का किया जाना है। विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम अन्तर्गत जिला स्तरीय अधिकारियों (डीईईओ/ एडीईईओ/ एडीपीसी/एपीसी एवं अन्य) ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, बीईईओ, पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, आरपी के द्वारा नियमानुसार विद्यालय अवलोकन किये जाने हैं। इससे पूर्व निम्न कार्य सम्पादित करावें।

- शाला दर्शन पोर्टल पर प्रशासनिक एवं शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों का रजिस्ट्रेशन। (जिलेवार एवं ब्लॉकवार पंजीकरण की स्थिति– **संलग्न 1**)
- नियमित विद्यालय अवलोकन कर रिपोर्ट शाला दर्शन पोर्टल पर अपलोड करना। (जिलेवार माह अक्टूबर से दिसम्बर में अवलोकित विद्यालयों की स्थिति – **संलग्न 2**)
- 20 प्रतिशत से कम विद्यालय अवलोकन करने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर द्वारा जारी किया जाने का श्रम करावें एवं कार्यवाही की जावें।

विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट की मासिक प्रगति अत्यन्त न्यून है। रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। समस्त जिलों के प्रशासनिक एवं शैक्षिक अधिकारियों का रजिस्ट्रेशन करवाया जावें एवं रिपोर्ट को अपलोड करवाई जावें। **अतः निदेशालय बीकानेर द्वारा समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आदेशित कर "विद्यालय अवलोकन" लक्ष्य की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जावें। निरीक्षण से शेष रहे विद्यालयों का निरीक्षण करवाते हुए जिले के समस्त विद्यालयों का अवलोकन करवाया जावें एवं शाला दर्शन पोर्टल पर अपडेशन किया जावे। कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।**

संलग्न – जिलेवार रजिस्ट्रेशन एवं अवलोकन रिपोर्टस

23/1/18
(जस्सा राम)
अतिरिक्त आयुक्त

क्रमांक : राप्राशिप/गुणवत्ता शिक्षा/ विद्यालय अवलोकन /2017–18 12400 दिनांक 23/1/18

प्रतिलिपिः सूचनार्थ

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप,जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप,जयपुर।
4. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
5. अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त जिले।
6. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त (गुणवत्ता)
(ममता यादव)

www.rajteachers.com